कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

// आदेश //

क्र. /एफ–357/सा.प्र.वि./शि.जा./2025 1414 भिलाई, दिनांक 15/10/2025

श्री अर्जुन सोनी, सहायक ग्रेड–3 नगरपालिक निगम, भिलाई के दिनांक 03.10.2023 से 06.10.2023 तथा दिनांक 09.10.2023 से नोटिस जारी दिनांक तक कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण इस कार्यालय के नोटिस कमांक 1094 भिलाई, दिनांक 12.10.2023 तथा पत्र कमांक 1201 भिलाई, दिनांक 02.11.2023 के माध्यम से श्री अर्जुन सोनी, सहायक ग्रेड–3 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर कोई जवाब नहीं प्राप्त होने तथा श्री सोनी के कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने के कारण इस कार्यालय के नोटिस कमांक 1304 भिलाई, दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से अनाधिकृत अनुपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किया जाकर स्थानीय समाचार पत्र नई दुनिया एवं नव भारत में दिनांक 05.12.2023 को प्रकाशन कराया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3–1/2014/1–3 नया रायपुर दिनांक 10.02.2025 के माध्यम से अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवको के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही संबंधी निर्देश जारी किये गये है तथा छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के परिपत्र कमांक 1672/650 /2021/18 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 27.02.2021 के माध्यम से एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त परिपत्र दिनांक 10.02.2015 के तहत नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त निर्देशानुसार श्री अर्जुन सोनी पिता–स्व. जगदीश स्वर्णकार, सहायक ग्रेड–3 नगरपालिक निगम भिलाई के विरूद्ध पत्र कमांक 1491 भिलाई दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से आरोप पत्र जारी किया गया। उक्त आरोप पत्र श्री अर्जुन सोनी के कार्यालयीन अभिलेख में दर्ज पते पर प्रेषित किये जाने पर 'Not Known प्राप्तकर्ता नहीं जाना जा सकता' का उल्लेख करते हुए मूलतः निगम भिलाई को वापस प्राप्त होने के अनुक्रम में श्री अर्जुन सोनी सहायक ग्रेड–3 के विरूद्ध जारी आरोप पत्र एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के संबंध में अंतिम सूचना पत्र कमांक 1853 भिलाई दिनांक 27.03.2024 जारी किया जाकर उसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र नवभारत एवं हरिभूमि दिनांक 28.03.2024 को कराया गया है किन्तु अपचारी कर्मचारी श्री अर्जुन सोनी न तो कर्तव्य पर उपस्थित हुए और न ही उपरोक्त आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश कमांक 2037 भिलाई दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से श्री अर्जुन सोनी, सहायक ग्रेड–3

नगरपालिक निगम भिलाई के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए श्री नरेन्द्र कुमार बंजारे, उपायुक्त नगरपालिक निगम भिलाई को विभागीय जांच अधिकारी तथा श्रीमती रीता यादव, सहायक ग्रेड–2 को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) के आदेश दिनांक 13.10.2023 के माध्यम से श्री अर्जुन सोनी, सहायक ग्रेड–3 (कर्मचारी कोड–743545) की ड्यूटी विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतदान दल में लगाते हुए दिनांक 20.10.2023 को प्रशिक्षण केन्द्र भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी दुर्ग में प्रथम प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था, किन्तु श्री अर्जुन सोनी के दिनांक 03.10.2023 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा उनके आदेश कमांक 2248/लो.स.नि./निलंबन/2024 दुर्ग दिनांक 24.04.2024 के माध्यम से नोडल अधिकारी प्रशिक्षण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग के प्रस्ताव के आधार पर निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20क तथा सिविल सेवा आचरण नियम के तहत श्री अर्जुन सोनी, सहायक ग्रेड–3 नगरपालिक निगम भिलाई को निलंबित किया गया है तथा इस कार्यालय को विभागीय जांच की कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री नरेन्द्र कुमार बंजारे, उपायुक्त एवं विभागीय जांच अधिकारी नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा दिनांक 00/00/2025 को विभागीय जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमे अपचारी कर्मचारी श्री अर्जुन सोनी सहायक ग्रेड–3 नगरपालिक निगम भिलाई के विरूद्ध अधिरोपित आरोप कमांक 1, 2 एवं 3 गवाहों के बयान से सिद्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुकम में दण्ड के प्रश्न पर पक्ष रखने हेतु तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के संबंध में अंतिम सूचना पत्र कमांक 1022ए भिलाई दिनांक 31.07.2025 जारी किया जाकर स्थानीय समाचार पत्र कुबेर भूमि में दिनांक 02.08.2025 तथा स्थानीय समाचार पत्र पहर में दिनांक 03.08.2025 को प्रकाशन कराया गया है। इसके बावजूद अपचारी कर्मचारी श्री अर्जुन सोनी सहायक ग्रेड–3 नगरपालिक निगम भिलाई न तो कर्तव्य पर उपस्थित हुए और न ही किसी प्रकार से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 02.08.2025 एवं 03.08.2025 को प्रकाशित उपरोक्त सूचना पत्र के पश्चात अपचारी कर्मचारी को अंतिम अवसर प्रदान करने की दृष्टि से कार्यालयीन नोटिस कमांक 1225 भिलाई, दिनांक 16.09.2025 के माध्यम से अपचारी कर्मचारी की अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के संबंध में अंतिम सूचना पत्र जारी किया जाकर स्थानीय समाचार पत्र नवप्रदेश एवं पत्रिका में दिनांक 19.09.2025 को प्रकाशन कराया गया है। इसके बावजूद अपचारी कर्मचारी श्री अर्जुन सोनी सहायक ग्रेड–3 नगरपालिक निगम भिलाई न तो कर्तव्य पर उपस्थित हुए और न ही किसी प्रकार से अपना पक्ष आज दिनांक तक प्रस्तुत किया गया है।

विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं अपचारी कर्मचारी की कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में समय-समय पर स्थानीय समाचार पत्रो में प्रकाशित सूचना पत्रो के अवलोकन से तथा दिनांक 03.10.2023 से आज दिनांक तक अपचारी कर्मचारी श्री अर्जुन सोनी, सहायक ग्रेड-3 के कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने से अधोहस्ताक्षरी का यह समाधान हो गया है कि अपचारी कर्मचारी श्री अर्जुन सोनी, सहायक ग्रेड-3 नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा सिविल सेवा आचरण नियमो का गंभीर उल्लंघन किया गया है तथा श्री सोनी पदेन दायित्वों के निर्वहन हेतु इच्छुक नही हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3-1/2014/1-3 नया रायपुर दिनांक 10.02.2025 में दिये गये निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 15 के अधीन अपचारी कर्मचारी श्री अर्जुन सोनी सहायक ग्रेड-3 नगरपालिक निगम भिलाई के विरूद्ध सेवा से पदच्युत (Dismissal from Service) किये जाने की मुख्य शास्ति अधिरोपित करते हुए अपचारी कर्मचारी श्री अर्जुन सोनी पिता-स्व. जगदीश स्वर्णकार, सहायक ग्रेड-3 नगरपालिक निगम भिलाई को सेवा से पदच्युत (Dismiss) किया जाता है तथा उपरोक्त अनुपस्थिति/निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजन हेतु सेवा व्यवधान मानते हुए कर्तव्य अवधि में गणना नहीं करने का आदेश पारित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ-357/सा.प्र.वि./शि.जा./2025/1415 भिलाई, दिनांक 15/10/2025
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
2. महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रो में प्रकाशनार्थ।